

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/22/2010

दिनांक: 15-12-2021


आदेश

श्रीमती सोनिया सोनी अध्यक्ष, नगर पालिका मालपुरा को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(च)( )जांच/डीएलबी/2022/3865 दिनांक 07.10.2022 द्वारा निलम्बित किये जाने पर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर श्री आशा नामा सदस्या वार्ड संख्या 21 नगर पालिका मालपुरा को विभागीय आदेश क्रमांक 1648 दिनांक 11.10.2022 द्वारा 60 दिवस अथवा अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, कार्यभार सौंपा गया था।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1) (i) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विभागीय आदेशों की निरन्तरता में श्रीमती आशा नामा, नगर पालिका मालपुरा वार्ड संख्या 21 को अध्यक्ष के पद का कार्यभार आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हवेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 15-12-2022

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/22/2011-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो०, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. जिला कलक्टर, टोंक।
5. संभागीय आयुक्त अजमेर।
6. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा।
7. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
10. श्रीमती आशा नामा, अन्य पिछड़ा महिला सदस्य वार्ड सं० 21 नगरपालिका मालपुरा।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, मालपुरा।
12. प्रोग्रामर (आई.टी.सेल) निदेशालय को अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी